HEAD OFFICE

Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board
29/20, Nemi Road, Dalanwala, Dehradun (Uttarakhand)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20, नेमी रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

Phone (0135) 2658086; Fax (0135) 2718092, E-mail: msukpcb@yahoo.com, Web www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UEPPCB/HO/Gen-337 /2014/207-484 Dehradun. 18 June , 2014

## जल अधिनियम-1974 एवं वायु अधिनियम-1981 के अनुपालन के सम्बन्ध में जन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम-1981 प्रख्यापित किये गये हैं। जल अधिनियम-1974 की धारा-25 के अनुसार - किसी प्रकार के उद्योग/क्रियाकलाप/प्रक्रियायें अथवा शुद्धिकरण एवं निस्तारण व्यवस्था आदि की स्थापना अथवा विस्तारीकरण, जिसके द्वारा सीवेज/उत्प्रवाह निस्तारित होता हो, को स्थापना से पूर्व राज्य बोर्ड की सहमति (Consent to Establish) प्राप्त किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार वायु अधिनियम-1981 की धारा-21 के अनुसार किसी भी प्रकार के औद्योगिक संयंत्र की स्थापना/संचालन से पूर्व राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। प्रायः देखने में आया है कि कतिपय उद्योग/क्रियाकलाप/प्रक्रियायें, विशेषतया - होटल, भवन एवं संनिर्माण परियोजनायें (Building and Construction Projects) तथा नगरीय एवं क्षेत्र विकास परियोजनायें (Township and Area Development Projects) आदि द्वारा राज्य बोर्ड की सहमति के बिना स्थापना/संचालन प्रारम्भ कर दिया जाता है, जो उपरोक्त अधिनियमों के प्राविधानों का उल्लघंन है।

एतद्द्वारा होटल, भवन एवं संनिर्माण परियोजनायें (Building and Construction Projects) तथा नगरीय एवं क्षेत्र विकास परियोजनायें (Township and Area Development Projects) आदि से सम्बन्धित बिल्डर्स एवं निमार्ण कम्पनियाँ आदि को सूचित किया जाता है कि राज्य बोर्ड से जल अधिनियम-1974 एवं वायु अधिनियम-1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना सम्बन्धित प्रोजेक्ट का (Total Built-up Area 20000 Sq. Meter से कम होनें की दशा में भी) स्थापना/संचालन कदापि न किया जाये। उपरोक्त अधिनियमों के उल्लघंन की दशा में राज्य बोर्ड द्वारा जल अधिनियम-1974 की धारा-49 एवं वायु अधिनियम-1981 की धारा-43 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board ★ Head Offiece Dehradun

सदस्य सचिव
18/6/14